

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी.एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व प्रथम अपील संख्या 339/2016

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्टस
1. प्रभूराम पुत्र 2. मानाराम पुत्रान श्रीराम निवासी आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश क्रमांक प 12(3-)/राज/आवं/1698-1704 दिनांक 27.03.2003 जो जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित किया जिसके द्वारा ग्राम बनाड के भूमि खसरा नम्बर 51 की सम्वत् 2060 से 2063 की जमाबन्दी पर से खातेदारान का नाम विलोपित किया गया।

उपस्थिति:-

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्तस की ओर से उपस्थित।
- श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित।



:: निर्णय ::

दिनांक: 11 जुलाई, 2019

अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्त के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रथम राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 जो जिला कलेक्टर जोधपुर आदेश के द्वारा उनके पत्र क्रमांक प 12(3-)/राज/आवं/ 1698 -1704 दिनांक 27.03.2003 के द्वारा अपने जिले के समस्त तहसीलदारान को मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क होने से मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण अवैध, तत्सम्बन्धी हस्तान्तरणों की प्रविष्टियां विलोपित करने के बारे में जारी किया गया, के संदर्भ में ग्राम बनाड के भूमि खसरा नम्बर 51 की सम्वत् 2060 से 2063 की जमाबन्दी पर से खातेदारान का नाम विलोपित किया गया, के विरुद्ध पेश की गई है। अपील

7/7/19
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 339/2016 प्रभूराम बनाम राज्य

के संलग्न अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस को सुना गया दौरान सुनवाई अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि ग्राम बनाड के भूमि ख. न. 51 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार गोपालदास पुत्र सदासुख का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में राज0 भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से बहुत पहले से ही दर्ज खातेदार रहा है जिसके नाम से खतोनी संवत् 2011 से खातेदारी दर्ज है। इसके बाद राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया, उस वक्त भी गिरदावरी संवत् 2008 से 2013 गोपालदास की काश्त दर्ज की हुई है।

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि गोपालदास ने उक्त ख.न. की भूमि को जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र के कई लोगो को हस्तांतरण कर दिया, जिनके नाम से नामांतरण दर्ज होकर खातेदारी दर्ज हो गयी। जिसमें उक्त खरीददारान खातेदान पेमाराम ने अपने हिस्से के उक्त रकबे को आवासीय भूखण्डों में परिवर्तन करवाकर उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण, जोधपुर से पट्टा क्रमांक 2105 प्रकरण संख्या 2100/94 दिनांक 9.12.1994 को भूखण्ड संख्या ए नाम 41 गुणा 125 में 30 गुणा 60 वर्गगज को अपीलार्थीगण को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के दिनांक 15.10.1998 को बेचान कर कब्जा सौंप दिया तब से अपीलार्थीगण उस पर काबिज है।



अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की आड में उपरोक्त वर्णित ख.न. 51 व 53 की भूमि को बाले बाले पटवारी हल्का ने दिनांक 29.04.2007 को डोली बनाम मन्दिर श्री द्वारकानाथ जी के नाम की टिप्पणी खतोनी संवत् 2060 से 2063 में बिना किसी आधार के भूमि के दर्ज खातेदारान को सुनवाई व सूचना दिये बिना अंकित कर दी गई जबकि उक्त प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व वर्तमान खातेदारान को बिना पूर्व सूचना के तथा किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया बिना ही अपीलाधीन आदेश की पालना में उनका नाम जमाबन्दी से विलोपित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज के है।

4/12/16
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 339/2016 प्रभूराम बनाम राज्य

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश एवं खतौनी सम्वत् 2060 से 2063 में लगाया गया नोट विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जिला कलक्टर जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2003 एक प्रशासनिक कार्यवाही/निर्देश है जिसके आधार पर किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं तथा इस प्रकार का आदेश एक शून्य आदेश की श्रेणी में आता है जो निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है जिनका नाम विलोपित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश एवं खतौनी पर दर्ज नोट प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से शून्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि, भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से बहुत पहले से उक्त गोपालदास पुत्र सदासुख खातेदार के रूप में काबिज था तथा भूमि मंदिर की खुदकाशत की नहीं थी, इस प्रकार मन्दिर के नाम दर्ज करने की कार्यवाही विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। बेचानकर्ता गोपालदास पुत्र सदासुख पुष्करणा जागीर समय से तथा राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं जिनके नाम की प्रविष्टि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन करने का जिला कलक्टर या तहसीलदार या हल्का पटवारी को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश एवं कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार की होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 29.9.2016 को खतौनी की नकल की आवश्यकता होने पर नकल प्राप्त की गई तब जानकारी हुई। अपील को प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इसी प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि का कृषि भूमि से आवासीय परिवर्तन हो जाने के कारण उसके पटटे जारी हो गये जिसमें से 30 गुणा 60 वर्गगज का भूखण्ड अपीलान्त ने दिनांक 15.10.1998 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद किया गया है और वर्तमान में वह राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। ऐसे में वे व्यथित अधिकार होने के कारण अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।



7/10/16
राजस्थान विजयल कर्मिण
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 339/2016 प्रभूराम बनाम राज्य

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने अन्य में यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं खतौनी संवत् 2060 से 2063 में पटवारी हल्का बनाड द्वारा लगाई गई टिप्पणी दिनांक 29.004.2007 को निरस्त व रद्द किया जाकर विलोपित किये जाने का आदेश फरमावे तथा खातेदारान के नाम खातेदारी को बहाल किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रत्युत्तर में रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा शासन सचिव देवस्थान विभाग, राज0 सरकार के द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.12 (22) देव/ 91 दिनांक 6 मार्च 2003 जिसके अनुसार "उपरोक्त परिस्थितियों में मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क होने के कारण मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण अवैध है एवं राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ.21 (97)/राज/1/79 दिनांक 24.04.1982 पूर्व में ही वापस लिया जा चुका है। तथा देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग का पत्रांक प.12 (22)/देव/91 दिनांक 13.04.1993 तथा इसी विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.1996 से वापस लिया जा चुका है। अतः तत्संबंधी हस्तान्तरणों की भू अभिलेख में प्रविष्टियां विलोपित कर पूर्ववत् प्रविष्टियां अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त निर्देशानुसार संपूर्ण कार्यवाही दिनांक 21.03.2003 तक संपादित कर राज्य सरकार को प्रालना प्रतिवेदन प्रेषित किया जाये।" के अनुसरण में अपने पत्रांक क्रमांक प.12 (3-)/राज/आवं/1698-1704 दिनांक 27.03.2003 के द्वारा समस्त तहसीलदार को अपने क्षेत्र में इस प्रकार की हुई कार्यवाही को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किये गये थे। ऐसे में अपीलाधीन आदेश मूल रूप से जिला कलेक्टर जोधपुर का न होकर शासन सचिव, देवस्थान विभाग, जयपुर के द्वारा जारी किया हुआ है। ऐसे में राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान संभागीय आयुक्त को नहीं हो सकता है, अपीलार्थीगण को शासन सचिव देवस्थान विभाग के आदेश के विरुद्ध सक्षम स्तर पर चाराजोही करनी चाहिये। अतः अपीलार्थीगण की अपील को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खारिज की जावें।

हमने उपस्थित दोनों पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में उल्लेखित किये गये देवस्थान विभाग, राज0 जयपुर के पत्र दिनांक 06.03.2003 का




Te mad
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 339/2016 प्रभूराम बनाम राज्य

जो हवाला दिया गया है, के कम में अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से पूर्व न्यायालय हाजा की उक्त अपील पर सुनवाई क्षेत्राधिकारिता के बिन्दू को निर्णित किया आवश्यक होगा। अपीलान्त के द्वारा जिस अपीलाधीन आदेश की अपील की गई है, वो राज्य सरकार के देवस्थान विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 6.3.2003 की पालना निष्पादन हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा सम्बन्धित तहसीलदारान को प्रशासनिक निर्देश जारी किये गये हैं, न की न्यायिक आदेश पारित किये जाने जैसी कोई कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के शासन सचिव की ओर से जारी निर्देश/आदेश की अपीलों पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को राज0 भू राजस्व अधिनियम में नहीं दिया गया है। इन सभी तथ्यों/दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात हम इस निश्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थीगण की अपील को क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को सरे इजलास सुनाया




(बी.एल.कोठारी)
राजस्थान सरकार,
जोधपुर